

अधिशाली अभियंता

पी०आई०यू० दुगड्डा, जनपद- पौड़ी गढवाल

Ref. No. : 447/PMGSY/2020/47

Date : 02.02.2021

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
इंदिरा नगर फॉरेस्ट कॉलोनी
देहरादून, उत्तराखंड

द्वारा: प्रभागीय वन अधिकारी भूमि संरक्षण वन प्रभाग लैंसडाउन

विषय: जनपद पौड़ी गढवाल में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत प्रस्तावित चेलुसैन देवीखेत किलोमीटर 5 से बमोली मोटर मार्ग लंबाई 4.825 किलोमीटर के निर्माण हेतु 0.4370 हेक्टेयर वन भूमि का ग्राम विकास विभाग को प्रत्यावर्तन सैद्धांतिक स्वीकृति उत्तराखंड शासन का पत्रांक संख्या 497/X-3-20/1(58)/2020 दिनांक 09 जून 2020

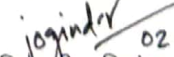
महोदया,

उपरोक्त विषयक संदर्भ पत्रों द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत जनपद पौड़ी गढवाल में प्रस्तावित चेलुसैन देवीखेत किलोमीटर 5 से बमोली मोटर मार्ग लंबाई 4.825 किलोमीटर की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई है अतः सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या बिंदुवार निम्नवत प्रस्तुत की जा रही है

1. शर्त संख्या 01 के अनुपालन में प्रभागीय वन अधिकारी भूमि संरक्षण वन प्रभाग लैंसडाउन के पत्रांक 140/12-1 दिनांक 20/07/2020 के द्वारा वर्तमान दरों पर वृक्ष का वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्ष रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि का रुपए 133100.0 की निर्धारित राशि जमा की जा चुकी है
2. शर्त संख्या 2 के अनुपालन में प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा उत्तराखंड सरकार के पत्र 497/X-3-20/1(58)/2020 दिनांक 09 जून 2020 के तहत दिए गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य का रुपए 287109.0 की निर्धारित राशि जमा की जा चुकी है
3. शर्त संख्या 3 के अनुपालन में शुद्ध वर्तमान मूल्य की दरों में बढ़ोतरी होने पर अतिरिक्त धनराशि जमा कराने के संबंध में प्रोक्ता एजेंसी द्वारा वचनबद्धता प्रमाण पत्र संकलन किया जा रहा है
4. शर्त संख्या 4 के अनुपालन में प्रोक्ता प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र संख्या 5-3/2007-F.C Dated 05.02.2009 के तहत दिए गए अनुदेशों के अनुसार एनपीवी एवं दूसरी सभी निधियां पृथ्वीपुर प्रतिपूर्ति पौध रोपण निधि प्रबंधन आदि धनराशि जमा करा दी गई है (प्रति संलग्न)
5. शर्त संख्या 5 के अनुपालन में प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा प्रस्तावित मोटर निर्माण कार्य में के लिए जनपद कार्यबल की प्रस्तुतियों एवं भू वैज्ञानिकों का सुझाव का कड़ाई से पालन किया जाएगा
6. शर्त संख्या 6 के अनुपालन में प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा वन विभाग अधिनियम 2006 के अंतर्गत आवश्यक अभिलेखों प्रमाण पत्रों को online Part I point K में अपलोड है
7. शर्त संख्या 7 के अनुपालन में प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा निहित किसी भी निर्धारित सर्च का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त कराने का अधिकार सुरक्षित रखें यहां प्रयोक्ता एजेंसी को मान्य है

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त प्रकरण पर विधिवत स्वीकृति प्रदान करने हेतु अग्रिम कार्यवाही करने की कृपा करें

भवदीय



02.02.2021

अधिशाली अभियंता

पी०आई०यू० दुगड्डा

जनपद- पौड़ी गढवाल

Project Office: PIU- DUGADDA, PMGSY works , Near Rasta cafe Vill.aamsaur , P.O.: Dugadda

Distt. PauriGarhwal Email: npccdugadda@gmail.com

ZonalOffice :98, Nehru colony, Dehradun, Uttarakhand 248001 Email: npccnwz@gmail.com

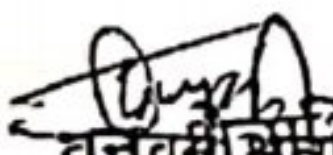
Tel. No. 0135- 2675725

परियोजना का नाम :- जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अर्न्तगत प्रस्तावित, चैलूसैन-देवीखेत कि०मी० 5 से बमोली मोटर मार्ग (लम्बाई-04.825कि०मी०) के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

एन०पी०वी० की धनराशि का आंकलन

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश संख्या दिनोंक 5.03.2007 एफ०सी० दिनोंक 05.02.2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वन भूमि हेतु एन०पी०वी० की देयता नियता निम्नानुसार है:-

1. ईको- क्लास श्रेणी V
2. हरियाली का घनत्व - 0.1
3. एन०पी०वी० की दर प्रति है० रुपये - 6,57,000
4. आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल - 0.437
5. कुल देय एन०पी०वी० की धनराशि - 2,87,109
(दो लाख सत्तासी हजार एक सौ नौ मात्र)


वनविकास अधिकारी
चैलूसैन रेंज


प्रभारित वन अधिकारी
श्रीग संरक्षण वन प्रभाग, लखौली


PMGSY DUGADDA
PAURI GARHWAL (UK)

Shivalik

CF

No

No Data

(Specific recommendation of the DFO/CCF/Nodal Officer with (Part II, III & Part IV)).

16. Specific recommendation of the DFO/CCF/Nodal Officer for acceptance or otherwise of the proposal with reason

Division	Circle	Recommendation By	Recommendation	Reason	Letter	Whether CF agreed
Soil Conservation, Lansdowne	Shivalik	DFO	Recommended	recommended in public interest		
	Shivalik	CF	Recommended			Yes
		Nodal Officer	Recommended	As per file attached		

Specific recommendation of the State Government (Part V)

17.

Specific recommendation of the State Government for acceptance or otherwise of the proposal with reason (Part V)

State	Recommendation By	Recommendation	Recommendation Date	Remarks	Signing Authority	Notification	Recommendation Letter
Uttarakhand	State Secretary	Recommended	15/06/2020		State Govt. Officer	No Data	

Stage-I Clearance Report

17.

Regional Office	Recommendation By	MoEF File No.	Date of Stage-I Clearance	Clearance Letter
Dehradun	State Government	1(58)/2020	09/06/2020	

18. Payment made by User Agency

Proposal No.	Application No.	Total Amount (Rs.)	Transaction Date	Transaction ID	Bank Name	Mode of Payment	Uploaded Demand Letter
FP/UK/ROAD/43884/2020	ROAD438842020930	420209	26 Aug 2020	PUNBR52020082614685942	Corporation Bank	NEFT/RTGS (Challan)	

19. Uploaded Status of Land to be transferred to Forest Department under FCA (Mutation Details) : No

24. Stage-II Clearance Details

Proposal No.	Date of Stage-II Clearance	Proposal Status	Clearance Letter
FP/UK/ROAD/43884/2020		IN-PRINCIPLE	No Data

jojindal
PMGSY DUGADDA
PAURI GARHWAL (UK)

प्रेषक,

सुभाष चन्द्र,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन भूमि हस्तान्तरण, इन्दिरा नगर,
फारेस्ट कालोनी देहरादून।

वन अनुभाग-3

देहरादून: दिनांक: 09 मई, 2020

विषय: जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, चैलूसैन-देवीखेत किमी० 5 से बमोली मोटर मार्ग (लम्बाई 04.825 किमी०) के निर्माण हेतु 0.4370 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2455/FP/UK/ROAD/43884/2020 दिनांक 12 मई, 2020 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, चैलूसैन-देवीखेत किमी० 5 से बमोली मोटर मार्ग (लम्बाई 04.825 किमी०) के निर्माण हेतु 0.4370 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन करने की सैद्धान्तिक स्वीकृति, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा मार्च 2019 में निर्गत मार्ग निर्देशिका के प्रस्तर 4.1 एवं 4.3 में दिये गये दिशा-निर्देश के क्रम में निहित प्रावधानों द्वारा प्रदत्त प्राधिकार का प्रयोग करते हुए अधोलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं :-

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जाएगी।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अंतर्गत आई०ए०सं०-566 एवं भारत सरकार पत्र सं०-5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
3. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन०पी०वी० की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र सं० 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार एन०पी०वी० तथा दूसरी सभी निधियाँ प्रतिपूर्ति पौधरोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा सं०-एस०बी०-25229 कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लाक-11 भूतल सी०जी०ओ० काम्पलैक्स, फेज-1, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 में जमा करने के उपरान्त ही पावती की छायाप्रति, जमा की गयी धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चेक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के सन्दर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् एन०पी०वी०, क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित स्थल के आस पास वृक्षारोपण तथा अन्य देय धनराशियों का विवरण दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।
5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
6. प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण-पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।

7. प्रयोगता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।
8. उपरोक्त शर्तों के अनुपालन पश्चात प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी।

भवदीय,
(सुभाष चन्द्र)
अपर सचिव।

संख्या: (1)/X-3-20/1(58)/2020, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, 25 सुभाष रोड, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, देहरादून।
4. जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
5. प्रभागीय वनाधिकारी, भूमि संरक्षण वन प्रभाग, लैन्सडौन।
6. अधिशासी अभियन्ता, पी0आई0यू0, एनपीसीसी, लि0 पीएमजीएसवाई, लो0नि0वि0, दुगड्डा, पौड़ी।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(सत्यप्रकाश सिंह)
उप सचिव।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, भूमि संरक्षण वन प्रभाग, लैन्सडौन।

पत्रांक:- 140/ 12-1 दिनांक, लैन्सडौन, 20/ 7/ 2020

सेवा में,

अधिशाली अभियन्ता,

पी0आई0यु0,

दुगड्डा, जनपद पौड़ी गढवाल।

विषय:-

पौड़ी गढवाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित चैलूसेन-देवीखत किमी0 5 से बमोली मोटर मार्ग (लम्बाई 4.825 किमी0) के निर्माण हेतु 0.4370 हे0 वन भूमि का गैर यानिकी कार्यों हेतु ग्राम विकास विभाग को प्रत्यवर्तन।

सन्दर्भ:-

अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या 497(1)X-3-20/1(58)2020, दिनांक 09.06.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है कि अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या 497(1)X-3-20/1(58)2020, दिनांक 09.06.2020 द्वारा उक्त मोटर मार्ग हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है, के कम में सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों की कार्यवाही आपके स्तर से की जानी है।

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त सं0 01 में अधिरोपित शर्त प्रस्तावित स्थल के आस पास रिक्त पेड स्थनों पर वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों का रखरखाव वित्तिय वर्ष 2020-21 के लिए 133100.00 (एक लाख तैंतीस हजार एक सौ) रुपये मात्र की धनराशि आपको जमा करानी होगी।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त सं0 2 के अन्तर्गत भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य एन0पी0वी0 की धनराशि (0.4370 X 657000) 287109 (दो लाख सत्तासी हजार एक सौ नौ) रुपये आपके द्वारा जमा की जायेगी।
3. शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है, तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी, इस आशय का बचनबद्धता से सम्बन्धित प्रमाण पत्र आपके द्वारा प्रेषित किया जाना है।
4. उक्त समस्त धनराशि वन विभाग के कैम्पा मद अन्तर्गत प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना का प्राधिकरण के तर्थाध निकाय के लेखा सं0 एस0बी0-25229, कॉर्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) ब्लाक-11 भूतल सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स फेज-1 लोधी रोड नई दिल्ली- 110003 में जमा करने के उपरान्त ही पावती की कलर प्रमाणित छायाप्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक डॉपट/चैक की प्रमाणित छायाप्रति का विवरण देना होगा।
5. सड़क निर्माण के पश्चात जहां जहां सम्भव हो सड़क के दोनो किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख रेख में Strip plantation की जायेगा। इस आशय की बचन बद्धता का प्रमाण पत्र भी आपके द्वारा प्रेषित किया जाना है।
6. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इंदिरा नगर फारेस्ट कलोनी, उत्तराखण्ड देहरादून की पत्र सं0- 2564/1जी0-5070 दिनांक 02.06.2020 द्वारा हस्तांतरित सिविल क्षेत्र को आरक्षित वन क्षेत्र घोषित करने हेतु आने वाले व्यय को भी आपको जमा करना होगा। इस आशय का प्रमाण पत्र कृपया देने का कष्ट करें।

भवदीय,

(इन्द्रेश उपाध्याय)

प्रभागीय वनाधिकारी

भूमि संरक्षण वन प्रभाग, लैन्सडौन।

140 / 127 दिनांकित।

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड,
न को सूचनार्थ प्रेषित।

लिपि:- वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

(इन्द्रेण उपाध्याय)
प्रभागीय वनाधिकारी,
भूमि संरक्षण वन प्रभाग, लैन्सडौन।

परियोजना का नाम :- जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अर्न्तगत प्रस्तावित, चैलूसैन-देवीखेत कि०मी० 5 से वमोली मोटर मार्ग (लम्बाई-04.825कि०मी०) के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

एन०पी०वी० जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना में एन०पी०वी० की देय धनराशि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा करायी जायेगी। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में मा० उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन०पी०वी० की वर्तमान दरों में कोई बढ़ोत्तरी की जाती है तो एन०पी०वी० की बढ़ी हुई धनराशि का मुगतान प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन विभाग की माँग के अनुसार किया जायेगा।

Shubham Jai
Assistant Engineer NPCC Ltd.
PMGSY Works, Dugadda
Distt. Pauri Garhwal (U.K.)

Joginder
PIU
PMGSY DUGADDA
PAURI GARHWAL (UK)

Joginder
PIU
NPCC
PMGSY DUGADDA
PAURI GARHWAL (U.K.)

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

कार्य का नाम :- जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत **चेलुसैंट देवीखेत KM 5 से बमोली** मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.526 है० वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन I

प्रमाणित किया जाता है कि सड़क निर्माण के पश्चात जहां संभव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central verge पर प्रोयक्ता एजन्सि द्वारा वन विभाग की देखरेख में strip plantation कराया जायगा


भवदीय
PIU
PMGSY DUGADDA
PAURI GARHWAL (UK)

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-1
(for linear projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector Pauri Garhwal

No. 06/8-LAC-2019

Dated.. 21/12/2019

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

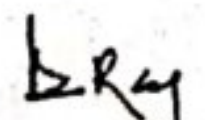
In complinace of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **0.437 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of **Rural Development Department** (name of user agency) for Road Construction (Purpose for diversion of forest land) in Pauri district falls within jurisdiction of **Bamoli village (s) in Landsdowne tehsils.**

It is further certified that:

- The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **0.437** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as **annexure 1 to annexure 4.**
- The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- The proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl:- As above.

Signature


Dharmraj Singh Garbiyal
District Collector Pauri Garhwal

FORM-II
(for projects other than linear projects)
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Garhwal

No 06 / 8-LAC - 2019

Dated 21 / 12 / 2019

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

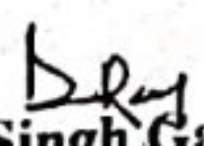
In complinace of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that **0.437 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of **Rural Development Department** (name of user agency) for road Construction (Purpose for diversion of forest land) in **Pauri Garhwal** district falls within jurisdiction of **Bamoli** village (s) in **Landsdwone** tehsils.

It is further certified that:

- a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **0.437 hectares** of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 1 to annexure 4.
- b) the proposal for such diversion (with full details of project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concered Grama Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;
- c) The each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. a copy of certificate issued by the gram sabha of villages **Bamoli** is enclosed as annexure 1 to annexure 4
- d) The discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;
- e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- f) The rights of Primitve Tribal Groups and Pre-Agricultural communitis, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1)(e) of the FRA

Eucl :- As above.

Signature


Dheeraj Singh Garbiyal
District Collector Garhwal
Pauri Garhwal

**OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT PAURI GARHWAL (U.K.)**

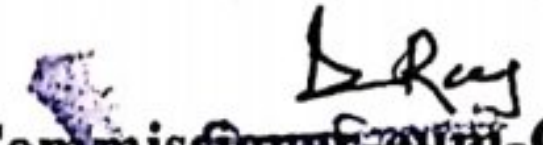
Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Pauri Garhwal district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. Dheeraj Singh Garbiyal I.A.S deputy commissioner, Pauri Garhwal on dated 21/12/19 at time 2:30 PM at Pauri in which application claiming rights in area measuring 0.437 hect for the construction of CHAILUSAIN - DEVIKHET M/R KM-5 TO BAMOLI forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Dwarikhal sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommends the above case for diversion of land for the said purpose.

Place;.. Pauri.....

Dated. 21/12/2019


Deputy Commissioner - Chairman
District Level Committee

परियोजना का नाम :- जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अर्न्तगत प्रस्तावित, चैलूसैन-देवीखेत कि०मी० 5 से बमोली मोटर मार्ग विकासखण्ड द्वाराखाल तहसील लैन्सडौन की भूमि अधिग्रहित।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, लैन्सडौन

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र
प्रमाण पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, लैन्सडौन

उपखण्ड लैन्सडौन परिक्षेत्र के अर्न्तगत चैलूसैन-देवीखेत कि०मी० 5 से बमोली मोटर मार्ग (शून्य है० आरक्षित वन भूमि), (0.437 सिविल एवं सोयम भूमि), (शून्य है० वन पंचायत भूमि) कुल. 0.437 है० का प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अर्न्तगत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील लैन्सडौन) की दिनांक 25-11-19 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अर्न्तगत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक सुश्री अपर्णा ढौंडियाल, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- सुश्री अपर्णा ढौंडियाल उपजिलाधिकारी उपजिलाधिकारी अध्यक्ष
- 2- श्री गिरीश चंद्र उप प्रभागीय वनाधिकारी उप प्रभागीय वनाधिकारी सदस्य
- 3- श्री रोहित कुमार सहायक समाज कल्याण अधिकारी सहायक समाज कल्याण अधिकारी सदस्य
- 4- श्री रविंद्र रावत बी०डी०सी० क्षेत्र कनिष्ठ उप प्रमुख सदस्य

माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि चैलूसैन-देवीखेत कि०मी० 5 से बमोली मोटर मार्ग परियोजना हेतु 0.437 है० वन भूमि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अर्न्तगत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित

ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, भूमि संरक्षण वन प्रभाग लैन्सडौन वनप्रभाग लैन्सडौन द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अर्न्तगत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड कोटद्वार परिक्षेत्र के अर्न्तगत चैलूसैन-देवीखेत कि०मी० 5 से बमोली मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 0.437 है० वन भूमि प्रधानमन्त्री ग्राम सड़क योजना प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।


उपजिलाधिकारी
लैन्सडौन (गढ़वाल)
उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- लैन्सडौन
जनपद- पौड़ी गढ़वाल

प्रतिलिपि :- जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- लैन्सडौन
जनपद- पौड़ी गढ़वाल

परियोजना का नाम :- जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अर्न्तगत प्रस्तावित, चैलूसैन-देवीखेत कि०मी० 5 से बमोली मोटर मार्ग विकासखण्ड द्वाराखाल तहसील लैन्सडौन की भूमि अधिग्रहित।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अर्न्तगत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम बमोली
तहसील लैन्सडौन, जिला पौड़ी गढ़वाल

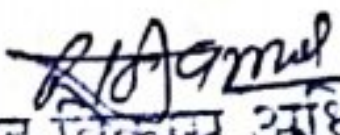
अनापत्ति प्रमाण पत्र

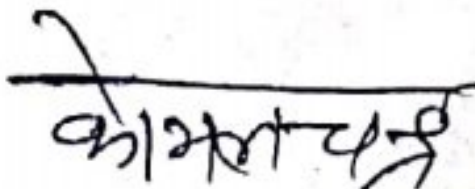
उत्तराखण्ड में जनपद पौड़ी गढ़वाल के अर्न्तगत चैलूसैन-देवीखेत कि०मी० 5 से बमोली मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु (शून्य है० आरक्षित वन भूमि), (0.437 सिविल एवं सोयम भूमि), (शून्य है० वन पंचायत भूमि)कुल. 0.437 है० वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत बमोली द्वारा दिनांक 08.07.2019 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपरिथित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम बमोली के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि 0.437 है० प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (ग्राम्य विकास विभाग) प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।


ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत.....
विकास अधिकारी.....
जिला पौड़ी गढ़वाल


ग्राम प्रधान

दिनांक 08.07.2019 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत बमोली

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	रामजी सिंह रावत	रामजी सिंह रावत
2	मुपेन्द्र सिंह रावत	मुपेन्द्र सिंह
3	वीरवल सिंह	वीरवल सिंह
4	धीरज सिंह (पधानी)	धीरज सिंह
5	रामा सिंह रावत	रामा सिंह
6	रामजी सिंह	रामजी सिंह
7	लक्ष्मी सिंह	लक्ष्मी सिंह
8	लालवन्त सिंह रावत	Lalwant Singh
9	महावीर सिंह रावत	Mahaveer Singh
10	बन्धन सिंह रावत	बन्धन सिंह
11	सन्तन सिंह	सन्तन सिंह
12	मुपेन्द्र सिंह	मुपेन्द्र सिंह
13	जगत सिंह	जगत सिंह
14	धीरज सिंह	धीरज सिंह
15	जगदीश प्रसाद	जगदीश प्रसाद
16	वीर सिंह	वीर सिंह
17	शेखर सिंह	शेखर सिंह
18	डा. तुल रावत	डा. तुल
19	जयप्रताप सिंह रावत पूर्व प्रधान	जयप्रताप सिंह
20	रवींद्र सिंह रावत पूर्व प्रधान	रवींद्र सिंह
21	श्री प्रधान सिंह	श्री प्रधान सिंह

श्रीमती तारा रावत
सदस्य क्षेत्र पंचायत
बमोली ताराजी
मिड बाण्ड - हारीजन

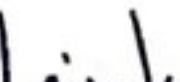
It is further Certified that- Minutes of Meeting of Construction of **Chailusain-Devikhet M/R KM 5 to Bamoli Motor Marg (4.825 K.M)** Regarding FRA is as following:

Ser. No.		Remark
(A)	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA had been carried out for the entire 0.437 hectares of forest area proposed for division. A copy of record of all consultations and meeting of the forest right committee(s), Sub Divisions Level committee(s) are enclosed as annexure.	Yes copy of record attached as there are no habitations belonging to scheduled tribes and other traditional forest dwellers.
(B)	The diversion of forest land for facilities managed by the government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and Gram Sabhas have been given consent to it.	Yes, copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest dwellers. No objections certificate concerned villages regarding construction of aforesaid construction of motor road is attached.
(C)	The proposal does not involve recognized rights of primitive tribal groups and pre-agricultural communities.	Yes, copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest dwellers.

नमो भगवते वासुदेवाय
रजिताट्टकी
जिला पंचायत सदस्य
पौड़ी गढ़वाल


 जिला समाज कल्याण अधिकारी
 जिला समाज कल्याण अधिकारी
 पोस्टी सी. बाबुवाल

प्रमाणित वजाधिकारी
प्रमाणित वजाधिकारी जैन्हाडैव.


 PPU
 NPCC
 PMGSY DUGADDA
 PAURI GARHWAL (U.K.)

जिलाधिकारी गढ़वाल
गढ़वाल

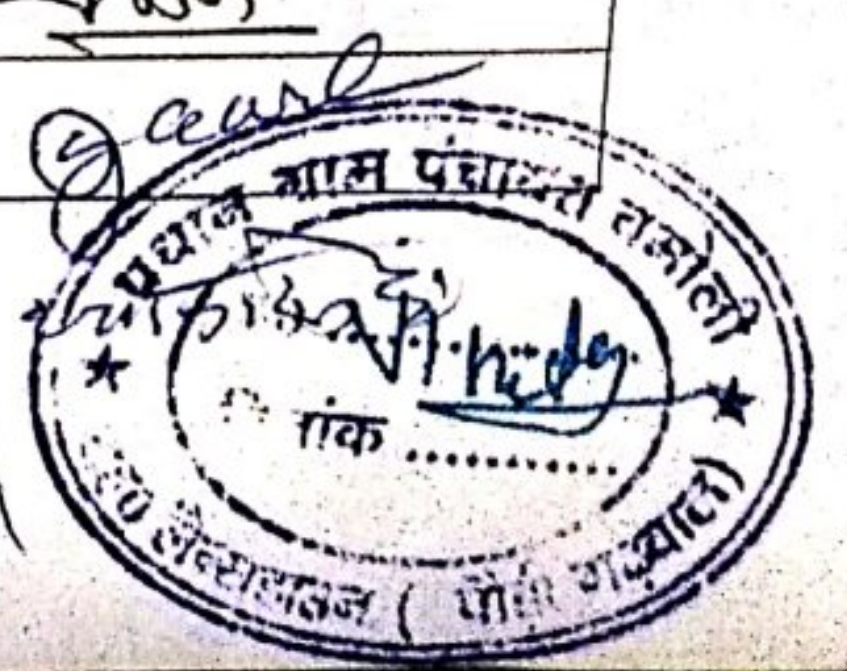
दिनांक 08.07.2019 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत बमोली

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	रंजीत सिंह रावत	रंजीत सिंह रावत
2	शेख सिंह रावत	शेख,
3	वीरभल सिंह	वीरभल
4	धीरज सिंह (पद्मानजी)	धीरज सिंह
5	राम सिंह रावत	राम सिंह
6	रंजीत सिंह	रंजीत सिंह
7	रुही सिंह	रुही
8	बलवन्त सिंह रावत	Balwant Singh
9	महावीर सिंह रावत	Mahaveer Singh
10	वचन सिंह रावत	वचन सिंह
11	सन्तन सिंह	सन्तन सिंह
12	भूपेन्द्र सिंह	भूपेन्द्र सिंह
13	जागती सिंह	जागती सिंह
14	धीरज सिंह	धीरज सिंह
15	जनादन सहाद	जनादन सहाद
16	नरेश सिंह	नरेश सिंह
17	लेखेन्द्र सिंह	लेखेन्द्र सिंह
18	अतुल रावत	अतुल
19	अथपाल सिंह रावत पूर्व प्रधान	अथपाल
20	रवींद्र सिंह रावत पूर्व प्रधान	रवींद्र

21 - श्री अथपाल सिंह

श्रीमती तारा रावत
सदस्य ग्राम पंचायत
बमोली ताराजी
पि. 08.07.2019 - बमोली

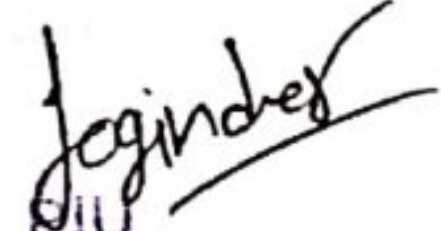


परियोजना का नाम :- जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अर्न्तगत प्रस्तावित, चैलूसैन-देवीखेत कि०मी० 5 से बमोली मोटर मार्ग (लम्बाई-04.825कि०मी०) के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

भू-वैज्ञानिक की संस्तुतियों/सुझावों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण-पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु भू-वैज्ञानिक द्वारा दिये गये सुझावों / संस्तुतियों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।


Assistant Engineer NPCC Ltd.
PMGSY Works Dugadda
Distt. Pauri Garhwal (U.K.)


NPCC
PMGSY, DUGADDA
PAURI GARHWAL (U.K.)

परियोजना का नाम :- जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, चैलूसैन-देवीखेत कि०मी० 5 से बमोली मोटर मार्ग (लम्बाई-04.825कि०मी०) के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

मानक शर्तों का अनुपालन किए जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वन विभाग उत्तराखण्ड शासन तथा भारत सरकार द्वारा लगायी गयी मानक शर्तें प्रयोक्ता एजेंसी को मान्य है।

Shyam Lal
Assistant Engineer NPCC Ltd.
PMGSY Works, Dugadda
सहायक अभियन्ता
Distt. Pauri Garhwal (U.K.)

Leginder
NPCC
PMGSY DUGADDA
अभिषेक अभियन्ता
PAURI GARHWAL (U.K.)